IT/110
21/6/24

सबसे सस्ता..................सबसे अच्छा ....

प्रधानमंत्री आवास योजना (AHP) अंतर्गत उज्जैन शहर में कानीपुरा क्षेत्र में उच्च क्वालिटी के ई.डब्ल्यू.एस. आवास पाने का सुनहरा अवसर शहर वासियों के लिये

उज्जैन नगर पालिक निगम की विशेष पहल

कार्यालय नगर पालिक निगम, उज्जैन

आमंत्रण

क्रमांकः पी.एम.ए.वाय./ए.एच.पी./2024/425

उज्जैन/दिनांकः 21/06/2024

प्रधानमंत्री आवास योजना के भागीदारी में किफायती आवास (AHP) घटक के तहत कानीपुरा क्षेत्र में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) श्रेणी के रिक्त हुई आवासीय इकाइयों हेतु उज्जैन नगरीय क्षेत्र के स्लम केटेगरी के इच्छुक नागरिकों से पंजीयन हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते है। आवेदन पत्र की जाँच के उपरान्त आवासीय इकाई का आवंटन योजना दिशा निर्देश अनुसार "लाटरी" के माध्यम से किया जावेगा।

इकाई के प्रकार/संख्या	निर्मित क्षेत्र (व.मी.)	कुल देय मुल्य	पंजीयन राशि 10%
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) रिक्त हुए 03 आवासीय इकाई हेतु	40.00	रू. 2.00 लाख	रू. 20,000/–

भवन आवंटन हेतु शर्ते निम्नानुसार निर्धारित है:–

(1) आवासीय इकाइयों का आवंटन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के ऐसे हितग्रहियों को किया जाना है जिनकी वार्षिक आय रूपये 3,00,000/– (तीन लाख रूपये) से कम है तथा उनके स्वयं के नाम से एवं परिवार के सदस्यों के नाम से भारत में कहीं कोई पक्का मकान नहीं है।

(2) आवेदन फार्म (निःशुल्क) प्रधानमंत्री आवास योजना (AHP विभाग), नगर पालिक निगम कार्यालय, 42, क्षपणक मार्ग, दशहरा मैदान, फीगंज उज्जैन से कार्यालयीन समय प्रातः 11.00 बजे से सांय 5.30 बजे तक प्राप्त किये जा सकते है।

(3) अनिवार्य दस्तावेज (स्वहस्ताक्षरित तथा स्वसत्यापित):

(1) आधार कार्ड की प्रति। (2) आय तथा आवासहीन होने का स्वप्रमाणित शपथ पत्र। (3) वैवाहिक होने की दशा में पति–पत्नि का संयुक्त फोटो, बालिग अविवाहित/विधवा/विधुर होने पर स्वयं का फोटो (आवेदन पर चस्पा करें)। (4) बैंक खाते की प्रति। (5) मलिन बस्ती में निवासरत होने की दशा में निवास के साथ आवेदक का फोटो। (6) अविवाहित बालिग होने की दशा में, आवेदक तथा उसके माता–पिता का संयुक्त स्वप्रमाणित शपथ–पत्र, जिसमें आवेदक तथा माता–पिता दोनों का ई.डब्ल्यू.एस. आय श्रेणी के होने का कथन, स्थाई पता, मोबाईल नम्बर, आधार कार्ड का विवरण तथा रोजगार का संपूर्ण विवरण दिया जाना अनिवार्य होगा। (7) सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र।

अन्य दस्तावेज स्थिति अनुसार (स्वहस्ताक्षरित तथा स्वसत्यापित): (1) आधार कार्ड में पता स्पष्ट न होने की दशा में वोटर आई.डी. की प्रति। (2) कर्मकार मण्डल में पंजीकृत होने पर तत्संबंधी परिचय पत्र। (3) दिव्यांग होने पर मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र। (4) यदि कच्चे आवास का पट्टा प्राप्त है, तो पट्टे की प्रति। (5) शपथ पत्र जिसमें यह उल्लेख हो कि, आवेदक किराये से अथवा अपने संबंधी के साथ निवासरत है।

उपरोक्तानुसार पूर्ण भरा हुआ आवेदन मय विज्ञप्ति में वांछित दस्तावेजों एवं 10 प्रतिशत बुकिंग राशि रू. 20,000/– के डी.डी. (जो कि **आयुक्त, नगर पालिक निगम, उज्जैन के पक्ष में देय हो**) सहित विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से दिनांक 08.07.2024 तक प्रधानमंत्री आवास योजना (AHP विभाग), नगर पालिक निगम कार्यालय, 42 क्षपणक मार्ग, दशहरा मैदान, फीगंज उज्जैन पर सांय 5.00 बजे तक स्वीकार किये जावेंगे।

(4) उपरोक्त विज्ञप्ति नगर निगम वेबसाईट nagarnigamujjain.org उज्जैन पर भी उपलब्ध है।

sd/-
कार्यपालन यंत्री
प्रधानमंत्री आवास योजना
नगर पालिक निगम उज्जैन

प्रतिलिपिः क्रमांकः पी.एम.ए.वाय./ए.एच.पी./2024/426

उज्जैन/दिनांकः 21/06/24

1. माननीय महापौर महोदय, न.पा.नि.उज्जैन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. माननीय अध्यक्ष महोदय, न.पा.नि.उज्जैन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त, न.पा.नि.उज्जैन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. जनसम्पर्क अधिकारी, न.पा.नि.उज्जैन की ओर भेजकर लेख है कि विज्ञप्ति का प्रकाशन समाचार पत्रों में करने की व्यवस्था करें।
5. ✓ प्रभारी आई.टी., न.पा.नि.उज्जैन की ओर भेजकर लेख है कि उपरोक्त विज्ञप्ति नगर पालिक निगम उज्जैन की वेबसाईट प्रदर्शित करने की व्यवस्था करें।
6. निगम मुख्यालय व समस्त झोन कार्यालयों के नोटिस बोर्ड/कार्यालय नगर पालिक निगम, उज्जैन पर चस्पा हेतु।

कार्यपालन यंत्री
प्रधानमंत्री आवास योजना
नगर पालिक निगम उज्जैन